

JOINT COMMITTEE INSPECTION REPORT

In The Matter of

Original Application No. 172/2024(CZ)

Devendra Chaurasiya Applicant (s)

Vs.

MoEF&CC & Ors. Respondent (s)

In Compliance of Order dated 25/07/2024



Date of joint committee Inspection:- 28 Aug, 2024

Location: Lakhna Pond, Narwar

Distt- Shivpuri (MP)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

Original Application No. 172/2024(CZ)

Devendra Chourasia

Applicant(s)

Vs.

MoEF&CC & Ors.

Respondent(s)

Sr. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Joint Inspection Report	-	1-4
2.	Copy of nomination letter of all Committee Members for Joint Inspection	01	5-8
3.	Letter of Regional Officer Guna to Shri Devendra Chourasia & SDM karera, CMO, Nagar parishad Narwar, Tehsildar -Narwar Distt. Shivpuri to present for spot inspection.	02	9-10
4.	Copy of attendance sheet of joint committee for inspection dated 28/08/2024	03	11
5.	Copy of prepared a Panchnama during visit	04	12
6.	Copy of building permission and land diversion of Shri Govind Maheswari land.	05	13-20
7.	Photographs taken during visit of committee on date 27/08/2024	06	21-22
8.	Copy of Water Quality analysis report of Lakhna Pond Narwar.	07	23
9.	Copy of land record map and google map & Wetland Conservation and Management Rules, 2017	08	24-39

INTRODUCTION:-

It is humbly submitted that Shri Devendra chourasiya has filed an application to the Hon'ble National Green Tribunal (CZ) Bhopal against MoEF&CC & Ors.

1. The issue raised in this application is violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, encroachment on the water bodies, unauthorized construction and dumping of waste in the lake area/water body.
2. Lakhna Talaab is a wetland recognized by Wetlands of India Portal situated in the Narwar Tehsil of Shivpuri District in Madhya Pradesh, that is protected by directions of the Hon'ble Supreme Court in MK Balakrishnan v. Union of India (2017) 7 SCC 805. Despite protections afforded to this wetland under the Wetland (Conservation and Management) Rules 2017 ("WLR"), framed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Guidelines for Implementing Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, the water quality of Lakhna Talaab has been deteriorating mainly on account of unregulated human activities around the Lake including unauthorized construction and dumping of municipal solid waste and untreated sewage into the Lake violating provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 and Wetland Conservation and Management Rules, 2017. Large areas of the water bodies and the canal system have been deliberately filled with soil and debris in order to level the ground, for illegal construction of malls, shops and petrol pumps etc.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- i. One representative from the Collector, Shivpuri, Madhya Pradesh.*
- ii. One representative from the Member Secretary, Madhya Pradesh Wetland Authority.*
- iii. One representative from the Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board.*

The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

In-Compliance to Hon'ble NGT (CZ) order Dated 25.07.2024 officers are nominated for inspection are as under:-

- i. Shri Ajay Sharma , SDM Karera (Representative of the District Collector), District Shivpuri. (M.P.)
- ii. Dr. Manoj Vishkarma , Assiatant Scientific Assistant (Representative of the Wetland Authority EPCO), Bhopal. (M.P.)

iii. Shri D.V.S. Jatav, Regional officer, MPPCB, Guna, (Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board) Guna, (M.P.)

Copy of official order attached as Annexure 01

The complainant Shri Devendra Chourasia & CMO, Nagar panchayat Narwar, SDM karera Tehsildar -Narwar Distt. Shivpuri was also requested to be present with the joint committee. Shri Devendra Chourasia, Adv. Shri Abhay Jain complainant, SDM, Nayab tehsildar, CMO, Revenue inspector, Patwari was also present with the joint committee for inspection. The letter was written to the applicant attached as **Annexure 02**

The joint inspection of Lakhna Pond Narwar Distt. Shivpuri, was conducted by the joint committee on dated 14/08/2024. Attendance sheet of officers of joint committee attached as **Annexure 03**

THE OBSERVATION OF THE COMMITTEE ALONG WITH THE COMMENTS ON THE POINT WISE ISSUE RAISED IN THE CASE:-


S.No.	Brief of complaint	Fact's & Observations
1.	Allegation regarding encroachment on the water bodies, & unauthorized construction	The documents and details provided by revenue department, The Lakhna Pond is situated at Survey No. 136 of Narwar and area 4.62 Hectares. The custodian of pond is in revenue department. During committee visit prepared a Panchnama is enclosed as <u>Annexure 04</u>
2.	Allegation regarding unauthorized construction near Lakhna pond.	The committee visited the site along with the officers of local administration. The alleged construction belongs to Shri Govind Maheshwari owner of the land which is survey no. 124 (Area 186 Sqm) & constructed 07 rooms (each size 10x15 feet) in 2019.as per The approval of lay out & building permission given by local authority .The owner of the land has made arrangement for disposal of domestic sewage & slage generated from the unit & presently the committee did not find any discharge in the pond or out side the unit . Currently there is no

		<p>use of rooms. Septic tank and soak pit is constructed for disposal of domestic wastewater. Shri Govind maheswari has been taken building permission from local body & land diverted by SDM Karera. Copy of building permission and land diversion is enclosed as <u>Annexure 05</u></p>
3.	<p>Allegation regarding the water quality of Lakhna Talaab has been deteriorating mainly on account of unregulated human activities around the Lake including unauthorized construction and dumping of municipal solid waste and untreated sewage into the pond violating provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.</p>	<p>The committee took the round of the Lakhna talab & observed that no such activities were observed during the visit .with regard to violation of provision of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. No trade effluent & sewage discharge was observed by the committee in the pond. The photographs taken during the visit is enclosed as <u>Annexure -06.</u></p> <p>There is no Unregulated human activity around the pond including unauthorized dumping of municipal solid waste & untreated sewage discharging into the pond. The water quality of the pond has been tested by Madhya Pradesh Pollution Control Board in which water quality was found under category “A” The analysis report is attached as <u>Annexure-07.</u></p>
4.	<p>Allegation regarding violation of Wetland Conservation and Management Rules, 2017.</p>	<p>Shri Govind Maheshwari owner of the land which is survey no. 124 (Area 186 Sqm.) constructed 07 rooms (each size 10x15 feet) in Yr. 2019. The land record map, Google map & Wetland Conservation and Management Rules, 2017. Enclosed as <u>Annexure-08.</u></p> <p>As per virtual instruction of SDM karera the revenue officers physically verified & found that currently pond is full of waters, hence reported that demarcation in present situation could not be done . The committee also observed that due to heavy rains</p>

		the pond is full & overflowing the details are enclosed as <u>Annexure-04</u>
5.	Allegation regarding Large areas of the water bodies and the canal system have been deliberately filled with soil and debris in order to level the ground, for illegal construction of malls, shops and petrol pumps etc.	During the committee visited the site & observed that there is no area of the Lakhna pond and the overflow system have been deliberately filled with soil and debris in order to level the ground & no illegal construction of malls, shops and petrol pumps etc. not found near the Lakhna Pond.

RECOMMENDATION:-

1. The District Administration shall ensure strict compliance of section 4 of the wetland rules 2017 and to ensure that there will not to be any encroachment on wetland.
2. Signage and caution boards should be installed by the occupiers of the water bodies at suitable place.
3. For protection of the water bodies fencing shall be done occupiers of the water bodies.
4. Before execution of any activities in around the lakes up to 50 meters of mean full tank level (FTL) there should be consultation of State Wetland Authority for better compliance of Wetland rules 2017 & Hon'ble NGT orders.
5. Preventive measures should be taken by Nagar Parishad Narwar to ensure no untreated or partially treated wastewater enters the Lakhna Pond.



(Dr. Manoj Vishwakarma)
Assistant Scientific Officer,
Bhopal (M.P.)



(Ajay Sharma)
SDM, Karera
Shivpuri. (M.P.)



(D.V.S. Jatav)
Regional Officer,
MPPCB, Guna, (M.P.)

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक / डूडा / 2024 / 6.6.2

शिवपुरी दिनांक 09/08/2024

// आदेश //


-00-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के प्रकरण क्रमांक-172/2024 (देवेन्द्र चौरसिया विरुद्ध पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन व अन्य) में दिनांक 25.07.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त गठित कमेटी को 06 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

अतः संयुक्त गठित कमेटी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी के प्रतिनिधि के रूप में श्री अजय शर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग करैरा को नामांकित किया जाता है। श्री शर्मा माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)



(उमेश चन्द्र कौरव)


डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला-शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक 09/08/2024

पृ.क्रमांक / डूडा / 2024 / 6.6.2

प्रतिलिपि:-

1. डायरेक्टर, पर्यावरण (विधि/तकनीकी) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री अजय शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग करैरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला गुना की ओर संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।



डिप्टी कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला-शिवपुरी



म. प्र. राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण
(पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016

Website- www.swa.mp.gov.in

फोन : (0755) 2468859

पत्र क्र. 4558 / MPSWA/2024

दिनांक : 12-08-2024

✓ प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

गैल कैंप, विजयपुर, जिला गुना (म. प्र.)


विषय – मान. NGT (CZB), भोपाल प्रकरण क्र. 164/2024 में पारित आदेश 24-07-2024 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ – आपका पत्र क्र. 634/क्षे. कार्या./म.प्र.प्र.नि.बो./2024 दिनांक 09/08/2024।

कृपया उपरोक्त पत्र का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मान. NGT (CZB) प्रकरण क्र. 164/2024 शिवपुरी के तालाबों से सम्बंधित है जिसमें 3 सदस्यों की समिति गठित है। उक्त समिति को 6 सप्ताह में स्थल निरीक्षण उपरांत action taken report प्रस्तुत करने के निर्देश है। उक्त प्रकरण की आगामी सुनवाई की तिथि 25-10-2024 है। आपके पत्र द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 13-08-2024 को प्रस्तावित की गयी है।

मान. मंत्री जी पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन की अध्यक्षता में राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण की बैठक 13-08-2024 को आयोजित है जिसमें अधोहस्ताक्षर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण हेतु स्थल निरीक्षण की अगली तिथि दिनांक 27-28 अगस्त 2024 को प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

(कार्यपालन संचालक, महोदय द्वारा अनुमोदित)



(लोकेन्द्र ठक्कर)

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एफ्को एवं
प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण

पृ. क्र. 4559 / 2024 / दिनांक 12-08-2024

1. कलेक्टर, जिला शिवपुरी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अरेरा कॉलोनी भोपाल को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एफ्को एवं
प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 7600/विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/24
प्रति

भोपाल, दिनांक 12/4,

- 1 कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय
शिवपुरी ।
- 2 सदस्य सचिव,
स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, ई-5 अरेरा कॉलोनी,
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, (एफको)
भोपाल (म.प्र.) ।

विषय :- माननीय एनजीटी, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 172/2024 (दिवेन्द्र चौरसिया विरुद्ध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) में दिनांक 25.07.2024 को पारित आदेश अनुपालन बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एनजीटी, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 172/2024 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2024 का कृपया अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

"The issue raised in this application is violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, encroachment on the waterbodies, unauthorized construction and dumping of waste in the lake area/waterbody.

Lakhna Talaab is a wetland recognized by Wetlands of India Portal situated in the Narwar Tehsil of Shivpuri District in Madhya Pradesh. that is protected by directions of the Hon'ble Supreme Court in MK Balakrishnan v. Union of India (2017) 7 SCC 805. Despite protections afforded to this wetland under the Wetland (Conservation and Management) Rules 2017 ("WLR"), framed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Guidelines for Implementing Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, the water quality of Lakhna Talaab has been deteriorating mainly on account of unregulated human activities around the Lake including unauthorized construction and dumping of municipal solid waste and untreated sewage into the Lake violating provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 and Wetland Conservation and Management Rules, 2017. Large areas of the water bodies and the canal system have been deliberately filled with soil and debris in order to level the ground, for illegal construction of malls, shops and petrol pumps etc.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- i. One representative from the Collector, Shivpuri, Madhya Pradesh.
- ii. One representative from the Member Secretary, Madhya Pradesh Wetland Authority.
- iii. One representative from the Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board.

The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in

माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेशानुसार 6 सप्ताह में संयुक्त गठित कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश है। प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 25.10.2024 को नियत है।




मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

Fax No. +91-755-2463742 E-mail: it_mppcb@rediffmail.com



अतः समिति हेतु आपके कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का अनुरोध है ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन युनिश्चित हो सके। बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, गुना को प्रकरण का प्रभावी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिनका मोबाईल नम्बर 9827332693 है।

संलग्न :- एनजीटी आदेश।


(ए. ओ. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1 क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना की ओर आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विभाग द्वारा नामित अधिकारी से समन्वय कर निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट रिटर्न अधिवक्ता के माध्यम से माननीय एनजीटी को उपलब्ध करावे।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प, विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)-473112

ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com

दूरभाष नं. -07544-274098



क्रमांक 645

/ क्षे.कार्या/ म.प्र.प्र.नि.बो/ 2024

गुना, दिनांक 12/08/2024

प्रति.

संशोधित पत्र


1. डॉ. मनोज विश्कर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
म.प्र.राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, पर्यावरण परिसर, ई- 5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)
2. श्री अजय शर्मा, एस.डी.एम, करैरा, जिला- शिवपुरी (म.प्र.)
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नरवर जिला- शिवपुरी (म.प्र.)
4. तहसीलदार, कार्यालय तहसीलदार, नरवर जिला- शिवपुरी (म.प्र.)
5. श्री देवेन्द्र चौरसिया, सिद्धेश्वर कॉलोनी, शिवपुरी (शिकायतकर्ता)
6. श्री गोविन्द माहेश्वरी, सदर बाजार, नरवर जिला- शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक OA172/2024 में पारित आदेश दिनांक 24/07/2024 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- म.प्र.राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का पत्र क्र. 4558 दिनांक 12/08/2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के सम्बंध में लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल के प्रकरण क्रमांक OA172/2024 में दिनांक 14/08/2024 को जांच नियत थी। म.प्र.राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का पत्र क्र. 4558 दिनांक 12/08/2024 के अनुरोध को मान्य करते हुये जांच तिथी में संशोधन उपरांत आगामी दिनांक 28/08/2024 को जांच की जाना नियत की जाती है।

अतः संबंधितों से अनुरोध है कि दिनांक 28/08/2024 को प्रातः 11 बजे लखना तालाब नरवर में उपस्थित होने का अनुरोध है।


क्षेत्रीय अधिकारी
विजयपुर-गुना

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला- दण्डाधिकारी, शिवपुरी (म.प्र.)।



म. प्र. राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण
(पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन)
पर्यावरण नियोजन एवं सामन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016
Website- www.swa.mp.gov.in
फोन : (0755) 2486859
पत्र क्र. 4558 / MPSWA/2024
दिनांक : 12-08-2024

✓ प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गैल कैंप, विजयपुर, जिला गुना (म. प्र.)

विषय - मान. NGT (CZB), भोपाल प्रकरण क्र. 164/2024 में पारित आदेश 24-07-2024 के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ - आपका पत्र क्र. 634/क्षे. कार्या./म.प्र.प्र.नि.बो./2024 दिनांक 09/08/2024।

कृपया उपरोक्त पत्र का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मान. NGT (CZB) प्रकरण क्र. 164/2024 शिवपुरी के तालाबों से सम्बंधित है जिसमें 3 सदस्यों की समिति गठित है। उक्त समिति को 6 सप्ताह में स्थल निरीक्षण उपरांत action taken report प्रस्तुत करने के निर्देश है। उक्त प्रकरण की आगामी सुनवाई की तिथि 25-10-2024 है। आपके पत्र द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 13-08-2024 को प्रस्तावित की गयी है।

मान. मंत्री जी पर्यावरण विभाग, म. प्र. शासन की अध्यक्षता में राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण की बैठक 13-08-2024 को आयोजित है जिसमें अधोहस्ताक्षर की उपस्थिति अनिवार्य है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण हेतु स्थल निरीक्षण की अगली तिथि दिनांक 27-28 अगस्त 2024 को प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

(कार्यपालन संचालक, महोदय द्वारा अनुमोदित)


(लोकेन्द्र ठक्कर)

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एफ्को एवं
प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण

पृ. क्र. 4559 / 2024 दिनांक 12-08-2024

1. कलेक्टर, जिला शिवपुरी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अरेरा कॉलोनी भोपाल को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, एफ्को एवं
प्रभारी अधिकारी, राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

Original Application No. 172/2024(CZ)

Devendra Chourasia

Applicant(s)

Vs.








MoEF&CC & Ors.

Respondent(s)

(Attendance Sheet)


Date 28/08/2024


Place :- Lakhna pond Narwar Distt Shivpuri


	Name & Designation	Office Address with E-mail & mobile No.	Signature
1.	Shri Ajay Sharma ,	SDM, Karera Distt. Shivpuri	 28.8.24
2.	Dr. Manoj Vishkarma , Assistant Scientific officer ,	Wetland Authority EPCO), Bhopal. (M.P.)	 28/8/24
3.	Shri D.V.S. Jatav,	Regional officer, MPPCB, Guna	
Other Member/ officer Present During joint inspection			
4.	Baveen Narwarig	CMO, NIP Narwar	 28.8.2024
5.	Santosh Dhakad	NT Narwar	 28/08/24
6.	Deenaram kakodiya	RI RAJSV	
7.	Karnal Kishor Sisodiya	Patwari	
8.			
9.			


पंचनामा


पंचनामा लिखित दिया हम पंचान ग्राम मुख्याधिकारियों ने कि आज दिनांक 28/08/2024 को माननीय राष्ट्रीय आधिकारिक (CDD) भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक OA 172/24 (देवेन्द्र चौरसिया विद्युत पर्याप्तता, वन एवं जलवायु परिवर्तन व अन्य) भोपाल के संसद में जांच समिति द्वारा आज दिनांक 28/08/2024 लखना तालाब नगर की जांच की गई लखना तालाब में शहर का नगरीय ठोस अपशिष्ट तथा जल-मल (सीवेज) का निस्तारण एवं डम्पिंग नहीं पाई गई। तालाब के आस-पास किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं पाई गई। तालाब में किसी प्रकार की यात्रा आधिकारिक परिसीमा में नहीं पाया गया। सी गैरिन्द माहेश्वरी की निजी भूमि क्षेत्र नंबर 124 में रकबा 186 वर्गमीटर भूमि का व्यवसायिक उपयोग हेतु व्यवर्तन कर व्यापारिक अनुविभागीय अधिकारी परगना कर्छा जिला शिवपुरी अंतर्गत धारा 59 मध्य प्रदेश भू-संज्ञक संकित में पारित आदेश दिनांक 20/06/2019 के अंतर्गत किया गया। नगर पंचायत नगर द्वारा दिनांक 14/08/2019 के द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र 2-बीक्यूई प्रदान भी गई है। जिसके तहत वर्तमान में 7 कमरे (लक्षणा 10x15) का निर्माण किया गया। वर्तमान में इसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। इनका उपयोग करने के दौरान चारों तरफ जल मल हेतु मुकपित/सैफिक हैक का निर्माण किया गया है। वर्तमान में इसका जलमल तालाब में नहीं छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में तालाब का भौतिक संस्थापन किया गया राजस्व अधिकारी स्वसरा बल्लभ अनुसार विधि अनुसार सीमांकन आज दिनांक को किया जाना संभव नहीं है क्योंकि तालाब में अत्यधिक पानी भरा हुआ है।



CMO
NP Narwar
(Priyanka Narwar)


NT Narwar
(Santosh Dhadu)



D. Ch. Chaurasia


28.08.24
(Dr. Manj V.)
ASO, SWA


K. K. Sarda


K. K. Sarda


Dr. Manj


28.8.24
SDO (A)
Narwar

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
विजयपुर जिला-गुना (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल में देवेन्द्र चौरसिया द्वारा प्रस्तुत शिकायत के प्रतिउत्तर में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 615 दिनांक 06/08/2024 ।

उपरोक्त विषयांगत निवेदन है कि श्री देवेन्द्र चौरसिया ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण लखना तालाब तालाब में अतिक्रमण की शिकायत की है जिसका संज्ञान माननीय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक OA/172/2024 द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है।

वर्तमान में हमारे द्वारा सर्वे नम्बर 124/2 में सात कमरे जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग फिट है, है। जमीन का विधिवत तरीके से संबंधित विभागों से डायवर्सन, भवन निर्माण स्वीकृतिएं प्राप्त की गई है। जो पत्र के के साथ संलग्न है।

लखना तालाब सर्वे नम्बर 136 रकवा 4.62 हेक्टेयर, राजस्व विभाग म.प्र. शासन की सम्पति है। तालाब का डीमाकेशन आज तक नहीं हुआ है। तालाब के अन्दर हमारी निजी भूमि सर्वे नम्बर 129 रकवा 0.12 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 124 रकवा 0.2914 हेक्टेयर, है। तालाब का सीमाकन करवाया जाए तथा हमारी तालाब के अन्दर जो भूमि है उसे चिन्हित करवा कर मुझे सौंपी जाए, तभी निर्माणाधीन स्थल एवं तालाब की सीमा की दूरी का सही-सही पता चल सकेगा। तालाब का सीमाकन के उपरान्त यह ज्ञात हो सकेगा की वेटलैंड नियमों का उल्लंघन हुआ है। उक्त जानकारी से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ) भोपाल को अवगत कराने का अनुरोध है।

धन्यवाद

दिनांक:- 09/08/2024

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



गोविन्द महेश्वरी

सदर बाजार नरवर, जिला-शिवपुरी

शिवपुरी

मो.न. 9893823345

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी की ओर निवेदन है कि तालाब का सीमाकन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का विन्नम निवेदन है।
2. एस.डी.एम, करैरा जिला-शिवपुरी की ओर निवेदन है कि तालाब का सीमाकन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का विन्नम निवेदन है।
3. तहसीलदार, नरवर जिला-शिवपुरी की ओर निवेदन है कि तालाब का सीमाकन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने का विन्नम निवेदन है।
4. संचालक, म.प्र.राज्य वेटलैंड प्राधिकारी, पर्यावरण परिसर,ई- 5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल- 462016
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद जिला- नरवर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9.5 0002/अ-2/2021-22 आदेश दिनांक 14/07/2021

(नियम 13 के नियम देखें)

1. भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत नाम : Govind maheshwari पता : 84 chourasiya mohalla narwar narwar 473880 द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की सूचना आवेदन क्रमांक 2200 9200 107 दिनांक 14/07/2021 द्वारा निम्न तालिका अनुसार दी गई है :-

जिला : शिवपुरी तहसील : नरवर रा.नि.मं.: नरवर पटवारी हल्का : सिकन्दरपुर ग्राम : मुवारिकपुर

सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि(व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
124	कृषि	व्यावसायिक	3100	2914	6.00	17484.00	2914	2.00	5828.00	0.00
भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि				23310.00						

2. उक्त भूमि के व्यपवर्तन उपरांत निम्न तालिका अनुसार प्रब्याजी एवं भू-राजस्व का निर्धारण किया जाता है जो निम्नानुसार है :-

जिला : शिवपुरी तहसील : नरवर रा.नि.मं.: नरवर पटवारी हल्का : सिकन्दरपुर ग्राम : मुवारिकपुर

सर्वे नंबर	चालू भूमि उपयोग	व्यपवर्तित भूमि उपयोग	कुल क्षेत्र	प्रब्याजी			भू-राजस्व			पंचायत कर
				व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	प्रब्याजी (प्रति व.मी.)	कुल राशि	व्यपवर्तित भूमि (व.मी.)	भू-राजस्व (प्रति व.मी.)	कुल राशि	कुल राशि
124	कृषि	व्यावसायिक	3100	2914	6.00	17484.00	2914	2.00	5828.00	0.00
पुनर्निर्धारण उपरांत कुल देय राशि				23310.00						

4. (सी) आदेशित किया जाता है, भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2200 9200 107 दिनांक 14/07/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार भू-अभिलेख दुरुस्त किया जाये | (जहाँ अघोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित राशि एवं भूमिस्वामी द्वारा भुगतान की गई राशि सामान है |)
5. भूमिस्वामी द्वारा पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2200 9200 107 दिनांक 14/07/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग/निर्धारण हेतु गलत जानकारी देने सम्बन्धी तथ्य संज्ञान में आने से उद्धृत हुए अतिरिक्त प्रब्याजी, भू-राजस्व एवं अर्थदंड का भुगतान करने हेतु भूमिस्वामी बाध्य होगा |

दिनांक : 14/07/2021



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभागीय अधिकारी
जिला शिवपुरी तहसील : नरवर

प्रतिलिपि:-

- Govind maheshwari (भूमिस्वामी/आवेदक) पैरा 04 में अंकित अतिरिक्त राशि के भुगतान (पैरा-1 में अंकित आवेदन क्रमांक 2200 9200 107 दिनांक 14/07/2021 द्वारा व्यपवर्तित भूमि उपयोग अनुसार) हेतु |
- तहसीलदार पैरा - 4 में अंकित राशि के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु |
- संबंधित पटवारी हल्का सिकन्दरपुर रा.नि.मं. नरवर तहसील, नरवर की ओर कार्यवाही हेतु |

I. 1302227496 रसीद क्र. 13-190701-1934396

प्रारूप-2 निगम 20

रसीद

कार्यालय नगर परिषद नरवर

जिला शिवपुरी (म.प्र.)

रसीद बुक क्र. 01

रसीद क्र. 58

मार्ग या मोहल्ला वार्ड क्र. 11

निर्धारित का नाम गोविंद मोहेश्वरी श्री मनोज मोहेश्वरी

ता/पति का नाम

र पंचायत कर दर/शुल्क के मुद्दे नीचे दिये गये ब्योरे के अनुसार-

कर दर या फीस का नाम	पुराना बकाया		चालू वर्ष	
	कालावधि	राशि	कालावधि	राशि
संभारिक	19-20 मार्च तक	481200		
सामयिक		120200		
शिक्षा उपकर		15200		
		<u>616200</u>		

(रूपया) 616200 (शब्दों में)

क. 147/19

हस्ताक्षर
हायक राजस्व निरीक्षक

GOVIND MAHESHWARI
PLOT NO. 01, WARD NO. 11, NARWAR

विषय : यह भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र मध्य प्रदेश ~~मुनिसिपल एक्ट 1957~~ की धारा 106 के अन्तर्गत जारी की गयी है

संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक GWA/SHI/NAR/0113/006/2019

आपके संदर्भित आवेदन के अनुक्रम में निम्न विवरण अनुसार ~~कम~~ अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था शपथ पत्र अनुसार स्वयं के उपयोग हेतु प्रकोष्ठ विकस्य प्रतिबंधित ।

1. जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : - / 11
2. कॉलोनी का नाम : WARD NO. 11
3. भूखंड क्रमांक : 01

4. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.20	Total permissible Builtup Area	: 222.910
Consumed FAR	: 0.750	Proposed Builtup Area	: 139.800
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Front Back Area	: -	Proposed Ground Coverage	: 27.760
Existing Ground Coverage	: 0.000	Permissible Ground Coverage	: 49.00

Building FAR Details

Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
SINGLE	139.80	0.00	0.00	0.0000	0.00	11.41	6.80	1.50	0.00

Floor FAR Details

Flooring	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.
	1	FLOOR-GROUND	51.56	0.00	0.00	0.0000	0.00	51.56
	2	FLOOR01	88.24	0.00	0.00	0.0000	0.00	88.24

Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
AR/0113/007/2019	184.00	RCPT/NAR/0113/006/2019	7/5/2019	Online
AR/0113/013/2019	9000.00	RCPT/NAR/0113/011/2019	8/13/2019	Online
AR/0113/013/2019	12767.00	RCPT/NAR/0113/012/2019	8/13/2019	Online

भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



1. उक्त स्वीकृति दिनांक **13-अगस्त-2022** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर परिषद अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर परिषद अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही मकान उपयोग में लाया जावेगा।
2. उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
3. यह अनुज्ञापत्री संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः का प्रभावित नहीं करेगी।
4. यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पंढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मग अनुज्ञा के निर्माण स्वयं पर अनिवार्य होगी।
5. भवन निर्माण का कार्य **परिषद** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
6. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्तन** करने पर नये पत्र **परिषद** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
7. आवेदन पत्र में दस्तावेज गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के दुर्त्यपरेशन पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिभूतित सर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
8. जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर परिषद** की जल संवयन शाखा से सन्त्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा
9. भवन निर्माण पूर्णतः मूल्य रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
10. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
11. स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के परिशिष्ट क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
12. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल मल ही **परिषद** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर परिषद** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टी) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 88 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था करना होगी। अग्निशमन अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास बोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। अग्निशमन व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभाग प्रमाण पत्र जारी किए जावेगे अधिभाग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. उल्लंघन होने वाले अपशिष्ट (सॉलिड वेस्ट) के प्रबंध में भवन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा तथा **जोख अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाइजर/रहवासी** की होगी।
16. **स्वच्छ पर्यावरण** की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत ड्रेनेज आदि का विकास **नगर परिषद** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
17. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अंतर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
18. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कसना आवश्यक होगा।
19. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
20. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।

नगर परिषद नरवर

निवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट 23 एवं 24 में देना होगी।

यदि अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र. विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

परिष्कार शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कानूनी दायित्व विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर परिषद अधिकारी नरवर

नगर परिषद अधिकारी

Digitally signed by MAHENDRA KUM
YADAV

Date: 2019.08.17 04:24:47 -07:00

Reason: Building plan approval

Location: Urban Local Body, Narwar


कार्यालय नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.

क्रमांक / न.प. / नरवर / 2023 / 1208

दिनांक 28/06/23


प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है । कि कार्यालय के सम्पत्तिकर भवन पंजी वार्ड क्रमांक 11 लखना तालाब के पास सरल क्रमांक 221 भवन क्रमांक 197(1) पर श्री गोविन्द्र माहेश्वरी पुत्र श्री मनोज माहेश्वरी के नाम सर्वे नं. 124 का रकवा निर्मित 1500 वर्गफुट खुली 501 वर्गफुट कुल 2001 वर्गफुट अंकित है ।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नरवर
जिला शिवपुरी म.प्र.

Applicant-OWNER. Shri Govind Maheswari Shri Manoj Maheswari
 al. Gram amarapur, ward No. 11
 Narwar, Dist. Shivpuri (M.P.)

Proposed Const. Plan



SCALE - NOT TO SCALE

Survey No- 124

Diverted Area

= 186 Sq.m
 = 2000 Sq.ft.

Permissible

or

Const.able Area
 = 139.80 Sq.m
 = 1500 Sq.ft.

DRAWN-BY
 U. Agrawal
 U.C. Agrawal
 Regd. Draftsman
 Nagar Panchayat
 Narwar

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर पंचायत नरवर
 जिला शिवपुरी (म.प्र.)
 ०२२० आवेदक/पान

आय. री. ए.
 २०





REGIONAL LABORATORY
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
D.D. Nagar, Housing Board Colony, Gwalior (M.P.)


WATER ANALYSIS

SAMPLE FROM: - LAKHNA TALAB , NARWAR DISTT:- SHIVPURI (M.P.)

REPORT NO.-368

Description Of Sample	Date Of Collection	Date Of Receipt	Date Of Analysis	Collected By
Water Sample from Lakhna Talab Shivpuri	05.08.2024	05.08.2024	06.08.2024	K.B. Sharma Sampler
S.NO.	PARAMETERS ANALYSED	UNIT	RESULT	
1.	Temperature	°C	24	
2.	Appearance		Clear	
3.	Colour		Colorless	
4.	Odour		Odourless	
5.	pH	pH Unit	7.23	
6.	Turbidity	NTU	4	
7.	Conductivity	µmhos/cm	478	
8.	Total Solids	Mg/l	340	
9.	Total Dissolved Solids	Mg/l	298	
10.	Suspended Solids	Mg/l	42	
11.	Nitrate	Mg/l	0.9	
12.	Alkalinity as CaCO ₃	Mg/l	230	
13.	Total Hardness	Mg/l	210	
14.	Sodium	Mg/l	10.4	
15.	Potassium	Mg/l	1.1	
16.	DO	Mg/l	7.8	
17.	Sulphate	Mg/l	12.8	
18.	BOD	Mg/l	1.8	
19.	Chemical Oxygen Demand (C.O.D)	Mg/l	20	
20.	Total Phosphate	Mg/l	1.2	
21.	Chloride (as Cl)	Mg/l	65	
22.	Calcium Hardness	Mg/l	130	
23.	Magnesium Hardness	Mg/l	80	
24.	Total Coliform	MPN/100ml	36	
25.	Fecal Coliform	MPB/100ml	4	

Remark:-Category A As per IS: 2296 surface water quality standards.


 (D.S.YADAV)
 Chemist


 Laboratory Incharge



Khasra Information



Khasra Number	124
Owner Name	गोविन्द गोविन्द
Village	Mubarikpur
Land Area	0.2910 Hectares
Use of Land	
Land Ownership Type	



प्रम/0330/अ.12/23-24


19

ग्राम - मुलासिकपुर
म.स.नं - 112 शिवमन्दिरपुर
शान्तिशून्य - 62 नगर
सड़की - नगर
जिला - शिवपुरी (म.प्र.)

उत्तर (N)




दक्षिण (S)



11/12/22

0-1

राज्य प्रतिलिपि
MCS
प्रधान प्रतिनिधिकार
तहसील नगर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)





भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2017/आश्विन 4, 1939

No. 802]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017/ASVINA 4, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1203(अ).—आर्द्रभूमि, जो जलीय चक्र का अत्यावश्यक भाग हैं, उच्चतर उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं जो समृद्ध जैवविविधता का आधार हैं तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भाग होने के कारण कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का समर्थन करते हुए जल भंडारण, जल शुद्धिकरण, बाढ़ अल्पीकरण, अपरदन नियंत्रण, भूजल का पुनःभरण, सूक्ष्म जलवायु का विनियमन, दृश्यभूमि के सौन्दर्य बौध को बढ़ाना जैसी पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करता है।

और, अधिकतर आर्द्रभूमि, अपवहन और भरणस्थान, प्रदूषण (घरेलू और औद्योगिक बहिःस्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्टों का निपटान), जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन (जल अपनयन और अंतर्वाह तथा बहिवाह परिवर्तन) के माध्यम से भूमि सुधार और अवक्रमण के कारण गंभीर रूप से संकटस्थ स्थिति में हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि और आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं में विघटन हुआ है;

और, संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (छ) में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए एक व्यापक विधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्द्रभूमि और उससे जुड़े मामले भी सम्मिलित हैं।

और, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को मान्यता दी गई है और सभी आर्द्रभूमि के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे उनकी ऐसी पारिस्थितिकी स्थिति को बनाए रखा जा सके, जो अंततोगत्वा उनके एकीकृत प्रबंध में सहायक हो;

और, भारत, आर्द्रभूमि संबंधी रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, तथा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

और केन्द्रीय सरकार ने तारीख 4 दिसंबर, 2010 की सं.सा.का.नि. 951(अ) द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010, प्रकाशित किए हैं;

और आर्द्रभूमि का संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सारवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास आयोजना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्द्रभूमि जैवविविधता तथा पारिप्रणाली सेवाओं की पूर्ण शृंखला को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है;

और, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इसी प्रकार से अपने विकासात्मक कार्यक्रमों तथा आर्थिक कल्याण में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं और जैव विविधता संबंधी मूल्यों पर विचार करने और इस बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के दो मुख्य पारिस्थितिकी घटक भूमि और जल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विषय के रूप में सूचीबद्ध हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने देश में आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिकांत करना आवश्यक समझा है;

और, अब, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, सा.का.नि. 385 (अ) तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया था; और यह सूचना दी गई थी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको इस राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और, केन्द्रीय सरकार को प्रारूप आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 के संबंध में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों और इसके संगठनों, व्यक्तियों और सिविल समाज संगठनों से सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त हुए हैं;

और, ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऊपर उल्लिखित प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त हुए हैं, पर राज्य सरकारों और राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है;
- (ख) "प्राधिकरण" से यथास्थिति राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, अभिप्रेत है;
- (ग) "समिति" से नियम 6 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति अभिप्रेत है;
- (घ) "पारिस्थितिकीय गुण" से पारिस्थितिकी प्रणाली घटकों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं का ऐसा संकलन अभिप्रेत है जो आर्द्रभूमियों की विशिष्टता चित्रित करता है;
- (ङ) "एकीकृत प्रबंधन योजना" से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें आर्द्रभूमि का युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियों और कार्रवाइयों का वर्णन किया गया है तथा इस योजना में स्थल प्रबंधन के उद्देश्य; उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन कार्रवाइयां, वे घटक, जो विभिन्न स्थल विशिष्टताओं को प्रभावित करते हैं, या प्रभावित कर सकते हैं; पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए और प्रबंधन की प्रभाविता के मापन के लिए अपेक्षित मानीटरी और कार्यान्वयन प्रबंधन कार्यान्वयन के लिए संसाधन सम्मिलित हैं;
- (च) "रामसर अभिसमय" से 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि संबंधी अभिसमय अभिप्रेत है;
- (छ) "आर्द्रभूमि से कोई क्षेत्र या कच्छ पंक, पीटभूमि या जल; प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, जल जो ठहरा है या बहते, ताजे, खारे या लवणीय, जिसके अंतर्गत समुद्री जल का जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति छह मीटर से अधिक की न हो अभिप्रेत है, परंतु इसमें नदी जल मार्ग, धान के खेत, पेयजल प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से मानव निर्मित जल निकाय/जलाशय, मत्स्यपालन, नमक उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं;

- (ज) "आर्द्रभूमि परिसर" से दो या दो से अधिक पारिस्थितिकीय और जलीय समीपस्थ आर्द्रभूमियां तथा जिनमें उनसे जुड़े नाले/वाहिकाएं सम्मिलित हो सकती हैं, अभिप्रेत हैं;
- (झ) "आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त उपयोग" से सतत विकास के संदर्भ में पारिप्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त पारिस्थितिकीय गुणों का रख-रखाव अभिप्रेत है;
- (ञ) "प्रभावित जोन" से आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि परिसर के आवाह-क्षेत्र का वह भाग जिस पर विकासात्मक कार्यकलापों के कारण पारिप्रणाली ढांचे, तथा पारिप्रणाली सेवाओं में प्रतिकूल परिवर्तन पड़ता है।
- (2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों का लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों को लागू होंगे, अर्थात्:-

- (क) रामसर अभिसमय के अधीन 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमियां;
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित आर्द्रभूमियां।

परंतु ये नियम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों को लागू नहीं होंगे।

4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन.—(1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित 'युक्तियुक्त उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

(2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन;
- (ii) किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना;
- (iii) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटान; परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;
- (iv) ठोस अपशिष्ट का पाटन;
उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्त्रावों का निस्सारण;
- (v) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जाएगी; और
- (vi) अवैध शिकार।

परंतु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

5. आर्द्रभूमि प्राधिकरण.—(1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) राज्य सरकार के पर्यावरण/वन विभाग का भारसाधक मंत्री या आर्द्रभूमि के विषय से संबंधित कार्य कर रहे भारसाधक मंत्री - अध्यक्ष;
- (ii) राज्य का मुख्य सचिव या समतुल्य अपर मुख्य सचिव - उपाध्यक्ष;
- (iii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (iv) वन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (v) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vi) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vii) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

- (viii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (x) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (xi) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (xii) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र – पदेन सदस्य;
- (xiii) मुख्य वन्यजीव वार्डन – पदेन सदस्य;
- (xiv) सदस्य सचिव, राज्य जैवविविधता बोर्ड – पदेन सदस्य;
- (xv) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – पदेन सदस्य;
- (xvi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक – पदेन सदस्य;
- (xvii) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और
- (xviii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमियों से संबंधित विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।
- (2) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
- (i) संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या मुख्य सचिव – अध्यक्ष;
- (ii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – उपाध्यक्ष;
- (iii) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (iv) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (v) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;
- (vi) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (vii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (ix) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (x) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;
- (xi) निदेशक, सुदूर संवेदी केन्द्र - पदेन सदस्य;
- (xii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति - पदेन सदस्य;
- (xiii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड - पदेन सदस्य;
- (xiv) मुख्य वन्यजीव वार्डन - पदेन सदस्य;
- (xv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - पदेन सदस्य;
- (xvi) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल-विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से एक-एक विशेषज्ञ जिसे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और
- (xvii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमि हथालन विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।
- (3) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, तीन से अधिक, यदि अपेक्षित हों, अन्य सदस्यों, का सह-चयन, कर सकेंगे।
- (4) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—
- (क) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;
- (ख) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना; अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;

- (ग) इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना;
- (घ) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिजिटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटिड वेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना; और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा;
- (ङ) अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तृत सूची विकसित करना;
- (च) विनिर्दिष्ट आर्द्रभूमियों के लिए प्रतिषिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढोतरी, यदि कोई हो, की सिफारिश करना;
- (छ) आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियां पारिभाषित करना; यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जल भण्डारण, भू-जल संभरण, बाढ़-प्रतिरोधक जैसे) और मूल्य (मनोरंजन और सांस्कृतिक जैसे) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है; तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए एक सिद्धांत, जो संरक्षण के साथ संगत वहनीय उपयोगों को समावेशित करता है (जैसे जीवन-निर्वाह स्तर हेतु मछली पकड़ना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना) का विवेकपूर्ण उपयोग करना;
- (ज) प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना (केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा-पारीय आर्द्रभूमियों सहित), और इन योजनाओं के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना;
- (झ) उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू-धारण अधिकार है, उन्हें बढावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिए कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना;
- (ञ) विद्यमान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिए कार्यतंत्रों की पहचान करना;
- (ट) इन नियमों और अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जून और दिसम्बर पर) एक सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना;
- (ठ) विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वयन करना;
- (ड) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के भीतर सभी आर्द्रभूमि विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;
- (ढ) संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश जारी करना;
- (ण) आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना; और
- (त) स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना।
- (5) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा।
- (6) प्राधिकरण, इन नियमों के प्रकाशन के नब्बे दिन के भीतर :
- (क) संक्षिप्त दस्तावेजों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिए एक तकनीकी समिति का, और
- (ख) जनता द्वारा प्राधिकरण को की गई शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से मिलकर बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा।
- (7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगी।
- (8) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी।
- (9) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर-अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष की अवधि का होगा।

6. **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन.**—(1) केन्द्रीय सरकार, एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—
- (i) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष;
 - (ii) आर्द्रभूमि संबंधी कार्य देख रहे विशेष सचिव या अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – उपाध्यक्ष;
 - (iii) अपर महानिदेशक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (iv) आर्द्रभूमियों संबंधी कार्य देख रहे सलाहकार या संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – पदेन सदस्य;
 - (v) संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (vi) संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (vii) संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (viii) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार – पदेन सदस्य;
 - (ix) संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
 - (x) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;
 - (xi) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - पदेन सदस्य;
 - (xii) निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xiii) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xiv) निदेशक, अंतरिक्ष अनुप्रयुक्ति केंद्र, अहमदाबाद या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;
 - (xv) सदस्य केन्द्रीय जल आयोग - पदेन सदस्य;
 - (xvi) सलाहकार, नीति आयोग - पदेन सदस्य;
 - (xvii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के तीन प्रतिनिधि, चक्रानुक्रम आधार पर, प्रत्येक दो वर्ष के कार्यकाल के लिए;
 - (xviii) आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी क्षेत्र, भू-दृश्य योजना और सामाजिक अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में से प्रत्येक का एक-एक विशेषज्ञ; और
 - (xix) आर्द्रभूमि से संबंधित कार्य करने वाले निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य सचिव।
- (2) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति, यदि अपेक्षित हो, तीन से अनधिक अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी।
- (3) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—
- (क) आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए समुचित नीतियों और कार्रवाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;
 - (ख) आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंधन के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के सिद्धान्त पर आधारित मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;
 - (ग) प्राधिकरण द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना;
 - (घ) नियम 4 के उप नियम (2) में यथानिर्दिष्ट प्रतिषेधित क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्तावों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;
 - (ङ.) रामसर अभिसमय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को अभिहित किये जाने की सिफारिश करना;
 - (च) अधिसूचित किये जाने के लिए सीमापार आर्द्रभूमियों की सिफारिश करना;
 - (छ) रामसर स्थलों और सीमापार आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंध की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;
 - (ज) आर्द्रभूमियों से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के समन्वय के संबंध में सलाह देना; और
 - (झ) किसी अन्य मामले पर स्वप्रेरणा से सलाह देना या केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट करना।

- (4) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को कार्यकाल तीन वर्ष से अनधिक का नहीं होगा।
- (5) समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।
7. **राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन.**—(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिज्ञात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिए एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा:—
- (क) निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;
- (ख) इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतित उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र;
- (ग) पारिस्थितिक-स्वरूप का विवरण;
- (घ) पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा;
- (ङ.) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल-विशिष्ट क्रियाकलाप की सूची;
- (च) आर्द्रभूमि और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल-विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची; और
- (छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीति;
- (2) प्राधिकरण, संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करेगा।
- (3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी।
- (4) (क) केन्द्रीय सरकार सीमा-पार आर्द्रभूमियों के मामले में, संक्षिप्त दस्तावेज, जिसमें उप-नियम (1) में यथा सूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी।
- (ख) संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी।
- (ग) केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।
- (5) (क) केन्द्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का सृजन करेगी।
- (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता में की आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी।

[फा. सं. जे-22012/78/2003-सीएस(डब्ल्यू) पार्ट.V]

डॉ. ए. दुरैसामी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2017

G.S.R. 1203(E).—Whereas the wetlands, vital parts of the hydrological cycle, are highly productive ecosystems which support rich biodiversity and provide a wide range of ecosystem services such as water storage, water purification, flood mitigation, erosion control, aquifer recharge, microclimate regulation, aesthetic enhancement of landscapes while simultaneously supporting many significant recreational, social and cultural activities, being part of our rich cultural heritage;

And whereas many wetlands are threatened by reclamation and degradation through drainage and landfill, pollution (discharge of domestic and industrial effluents, disposal of solid wastes), hydrological alteration (water withdrawal and changes in inflow and outflow), over-exploitation of their natural resources resulting in loss of biodiversity and disruption in ecosystem services provided by wetlands;

And whereas clause (g) of article 51A of the Constitution stipulates that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures;

And whereas the Environment (Protection) Act, 1986 is a comprehensive legislation to provide protection and improvement of the environment, including *inter-alia*, wetlands, and for matters connected therewith;

And whereas the National Environment Policy, 2006 recognises the ecosystem services provided by wetlands and emphasizes the need to set up a regulatory mechanism for all wetlands so as to maintain their ecological character, and ultimately support their integrated management;

And whereas India is a signatory to the Ramsar Convention on Wetlands and is committed to conservation and wise use of all wetlands within its territory;

And whereas the Central Government has published the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, vide number G.S.R. 951(E), dated the 4th December, 2010;

And whereas conservation and wise use of wetlands can provide substantial direct and indirect economic benefits to state and national economy, and thereby the Central Government stands committed to mainstreaming full range of wetland biodiversity and ecosystem services in development planning and decision making for various sectors;

And whereas the State Governments and Union Territory Administrations need to take into account wetland ecosystem services and biodiversity values likewise within their developmental programming and economic well-being, also taking into cognizance that land and water, two major ecological constituents of wetland ecosystems, are enlisted as State subjects as per the Constitution;

And whereas the Central Government considered it necessary to supersede the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 for effective conservation and management of wetlands in the country;

And whereas the Central Government had, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, published the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016, vide number G.S.R. 385 (E) dated 31st March, 2016 for information of the public likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette notification is made available to the public;

And whereas the Central Government has received the suggestions and objections from the State Governments, Union Territories and its organisations, individuals and civil society organisations on the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016;

And whereas the suggestions and objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government in consultation with State Governments and Union Territory Administrations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 and section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in supersession of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for conservation and management of wetlands, namely:—

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.
- (2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986;
 - (b) "Authority" means the State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority, as the case may be;

- (c) "Committee" means the National Wetlands Committee referred to in rule 6;
 - (d) "ecological character" means the sum of ecosystem components, processes and services that characterise the wetlands;
 - (e) "integrated management plan" means a document which describes strategies and actions for achieving wise use of the wetland and the plan shall include objectives of site management; management actions required to achieve the objectives; factors that affect, or may affect, the various site features; monitoring requirements for detecting changes in ecological character and for measuring the effectiveness of management; and resources for management implementation;
 - (f) "Ramsar Convention" means the Convention on Wetlands signed at Ramsar, Iran in 1971;
 - (g) "wetland" means an area of marsh, fen, peatland or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters, but does not include river channels, paddy fields, human-made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purposes;
 - (h) "wetlands complexes" means two or more ecologically and hydrologically contiguous wetlands and may include their connecting channels/ducts;
 - (i) "wise use of wetlands" means maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development;
 - (j) "zone of influence" means that part of the catchment area of the wetland or wetland complex, developmental activities in which induce adverse changes in ecosystem structure, and ecosystem services.
- (2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Applicability of rules.—These rules shall apply to the following wetlands or wetlands complexes, namely:—

- (a) wetlands categorised as 'wetlands of international importance' under the Ramsar Convention;
- (b) wetlands as notified by the Central Government, State Government and Union Territory Administration:

Provided that these rules shall not apply to the wetlands falling in areas covered under the Indian Forest Act, 1927, the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Forest (Conservation) Act, 1980, the State Forest Acts, and the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 as amended from time to time.

4. Restrictions of activities in wetlands.—(1) The wetlands shall be conserved and managed in accordance with the principle of 'wise use' as determined by the Wetlands Authority.

- (2) The following activities shall be prohibited within the wetlands, namely,-
- (i) conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;
 - (ii) setting up of any industry and expansion of existing industries;
 - (iii) manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;
 - (iv) solid waste dumping;
 - (v) discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements;
 - (vi) any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,
 - (vii) poaching.

Provided that the Central Government may consider proposals from the State Government or Union Territory Administration for omitting any of the activities on the recommendation of the Authority.

5. Wetlands Authorities.—(1) The Central Government hereby constitutes the State Wetlands Authority in each State with the following members, namely:—

- (i) Minister In-charge of the Department of Environment/Forests of the State Government or Minister In-charge of the Department handling wetlands - Chairperson;
- (ii) Chief Secretary of the State or Additional Chief Secretary equivalent - Vice Chairperson;
- (iii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Member *ex-officio*;
- (iv) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;
- (v) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;
- (vi) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;
- (vii) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;
- (viii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;
- (ix) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;
- (x) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;
- (xi) Secretary in-charge of the Department of Revenue - Member *ex-officio*;
- (xii) Director, State Remote Sensing Centre - Member *ex-officio*;
- (xiii) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;
- (xiv) Member Secretary, State Biodiversity Board - Member *ex-officio*;
- (xv) Member Secretary, State Pollution Control Board - Member *ex-officio*;
- (xvi) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;
- (xvii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the State Government; and
- (xviii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.

(2) The Central Government hereby constitutes the Union Territory Wetlands Authority for each Union Territory with the following members, namely:—

- (i) Administrator or Chief Secretary of the Union Territory - Chairperson;
- (ii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Vice Chairperson;
- (iii) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;
- (iv) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;
- (v) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;
- (vi) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;
- (vii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;
- (viii) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;
- (ix) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;
- (x) Secretary in-charge of the Departments of Revenue - Member *ex-officio*;
- (xi) Director, Remote Sensing Centre - Member *ex-officio*;
- (xii) Member Secretary, Union Territory Pollution Control Committee - Member *ex-officio*;

- (xiii) Member Secretary, Biodiversity Board of the UT - Member *ex-officio*;
 - (xiv) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;
 - (xv) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change- Member *ex-officio*;
 - (xvi) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the Union Territory Administration; and
 - (xvii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.
- (3) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.
- (4) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-**
- (a) prepare a list of all wetlands of the State or Union Territory within three months from the date of publication of these rules;
 - (b) prepare a list of wetlands to be notified, within six months from the date of publication of these rules; taking into cognizance any existing list of wetlands prepared/notified under other relevant State Acts;
 - (c) recommend identified wetlands, based on their Brief Documents, for regulation under these rules;
 - (d) prepare a comprehensive digital inventory of all wetlands within a period of one year from the date of publication of these rules and upload the same on a dedicated web portal to be developed by the Central Government for the said purpose; the inventory to be updated every ten years;
 - (e) develop a comprehensive list of activities to be regulated and permitted within the notified wetlands and their zone of influence;
 - (f) recommend additions, if any, to the list of prohibited activities for specific wetlands;
 - (g) define strategies for conservation and wise use of wetlands within their jurisdiction; wise use being a principle for managing these ecosystems which incorporates sustainable uses (such as capture fisheries at subsistence level or harvest of aquatic plants) as being compatible with conservation, if ecosystem functions (such as water storage, groundwater recharge, flood buffering) and values (such as recreation and cultural) are maintained or enhanced;
 - (h) review integrated management plan for each of the notified wetlands (including trans-boundary wetlands in coordination with Central Government), and within these plans consider continuation and support to traditional uses of wetlands which are harmonized with ecological character;
 - (i) in cases wherein lands within boundary of notified wetlands or wetlands complex have private tenancy rights, recommend mechanisms for maintenance of ecological character through promotional activities;
 - (j) identify mechanisms for convergence of implementation of the management plan with the existing State/Union Territory level development plans and programmes;
 - (k) ensure enforcement of these rules and other relevant Acts, rules and regulations and on half-yearly basis (June and December of each calendar year) inform the concerned State Government or Union Territory Administration or Central Government on the status of such notified wetlands through a reporting mechanism;
 - (l) coordinate implementation of integrated management plans based on wise use principle through various line departments and other concerned agencies;
 - (m) function as nodal authority for all wetland specific authorities within the State or Union Territory Administration;
 - (n) issue necessary directions for conservation and sustainable management of wetlands to the respective implementing agencies;

- (o) undertake measures for enhancing awareness within stakeholders and local communities on values and functions of wetlands; and
- (p) Advise on any other matter *suo-motu*, or as referred by the State Government/Union Territory Administration.
- (5) The concerned Department of the State Government or Union Territory shall provide all necessary support and act as nodal Department and Secretariat to the Authority.
- (6) The Authority shall, within ninety days of publication of these rules, shall constitute,—
 - (a) a technical committee to review brief documents, management plans and advise on any technical matter referred by the Wetland Authority; and
 - (b) a grievance committee consisting of four members to provide a mechanism for hearing and forwarding the grievances raised by public to the Authority;
- (7) The Committees referred to in sub-rule (6) shall meet at least once in every quarter to perform their functions.
- (8) The Authority shall meet at least thrice in a year.
- (9) The term of non-official members of the Authority nominated by State Government or Union Territory Administration, shall be for a period not exceeding three years.

6. Constitution of National Wetlands Committee.—(1) The Central Government, hereby constitutes the National Wetlands Committee with the following members, namely:—

- (i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Chairperson;
- (ii) Special Secretary or Additional Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India-Vice Chairperson;
- (iii) Additional Director General, Wildlife, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member *ex-officio*;
- (iv) Adviser or Joint Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;
- (v) Joint Secretary, Ministry of Tourism, Government of India- Member *ex-officio*;
- (vi) Joint Secretary , Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India- Member *ex-officio*;
- (vii) Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India- Member *ex-officio*;
- (viii) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India- Member *ex-officio*;
- (ix) Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India- Member *ex-officio*;
- (x) Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India- Member *ex-officio*;
- (xi) The Chairman, Central Pollution Control Board - Member *ex-officio*;
- (xii) Director, Zoological Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xiii) Director, Botanical Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xiv) Director, Space Application Centre, Ahmedabad or Scientist F- Member *ex-officio*;
- (xv) Member, Central Water Commission - Member *ex-officio*;
- (xvi) Adviser, Niti Aayog - Member *ex-officio*;
- (xvii) Three representatives of State Government or Union Territory Administration on a rotational basis for a tenure of two years each;
- (xviii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning & socio-economics; and

- (xix) Director/Additional Director/Joint Director dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member Secretary.
- (2) The National Wetlands Committee may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.
- (3) The National Wetlands Committee shall perform the following functions, namely:-
- (a) advise the Central Government on appropriate policies and action programmes for conservation and wise use of wetlands;
 - (b) evolve norms and guidelines for integrated management of wetlands based on wise use principle;
 - (c) monitor implementation of these rules by the Authority;
 - (d) advise the Central Government on proposals received from State Governments or Union Territory Administrations for omission of the prohibited activities as referred in sub-rule (2) of rule 4;
 - (e) recommend designation of wetlands of international importance under Ramsar Convention;
 - (f) recommend trans-boundary wetlands for notification;
 - (g) review progress of integrated management of Ramsar sites and transboundary wetlands;
 - (h) advise on collaboration with international agencies on issues related to wetlands; and
 - (i) advise on any other matter *suo-moto*, or as referred by the Central Government.
- (4) The tenure of non-official members of the Committee shall not exceed three years.
- (5) The Committee shall meet at least once in every six months.
- 7. Delegation of powers and functions to the State Governments and Union Territory Administrations.—**
- (1) The concerned Department of the State Government or Union Territory Administration shall, within a period of one year from the date of publication of these rules, prepare a Brief Document for each of the wetland identified for notification, providing:—
- (a) demarcation of wetland boundary supported by accurate digital maps with coordinates and validated by ground truthing;
 - (b) demarcation of its zone of influence and land use and land cover thereof indicated in a digital map;
 - (c) ecological character description;
 - (d) account of pre-existing rights and privileges;
 - (e) list of site-specific activities to be permitted within the wetland and its zone of influence;
 - (f) list of site specific activities to be regulated within the wetland and its zone of influence; and
 - (g) modalities for enforcement of regulation;
- (2) Based on the Brief Document, the Authority shall make recommendations to the State Government or Union Territory Administration for notifying the wetlands.
- (3) The State Government or Union Territory Administration shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Authority.
- (4) (a) In case of trans-boundary wetlands, the Central Government shall coordinate with concerned State Governments and Union Territory Administrations to prepare the Brief Document containing information as listed in sub-rule (1).
- (b) Based on the Brief Document, the National Wetlands Committee shall make recommendations to the Central Government for notification of the wetland.
- (c) The Central Government shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Committee.

- (5) (a) The Central Government shall create a dedicated web portal for information relating to wetlands.
- (b) The Central Government, State Government and Union Territory Administration shall upload all relevant information and documents pertaining to wetlands in their jurisdiction.

[F. No. J-22012/78/2003-CS (W) Pt. V]

Dr. A. DURAISAMY, Scientist 'G'